सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

21 Maagh, 1941(S)

No. 88

Ranchi, Monday, 10th February, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 68/2019 – State Tax

S.O. No. 3 Dated 10th February, 2020- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to be effective from the 13th December, 2019.

2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.

(5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.

(6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).”.

[File.No Va Kar / GST / 02/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand ,

Sukhdeo Singh,

Additional Chief Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28 -State Tax, dated the 20th June, 2017, and last amended vide notification No. 56/2019 - State Tax, dated the 10th February, 2020, published vide S.O. No.2 , dated the 10th February 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 68/2019- राज्य कर

एस. ओ. सं .3 दिनांक 10 फ़रवरी, 2020-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 है ।

(2) ये नियम तारीख 13 दिसम्बर, 2019 से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियमावली कहा गया है), के नियम 48 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात **प्ररूप जीएसटी आईएनवी-01** में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

(5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारीकिया है, को बीजक नहीं माना जाएगा ।

(6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे ।"।

[सं.सं .वा0कर/जी0एस0टी0/02/2019]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से

सुखदेव सिंह,
अपर मुख्य सचिव

टिप्पण: मूल नियम झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में एस. ओ. सं. 28 - राज्य कर, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन एस. ओ. सं.2, तारीख 10 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 56/2019 - राज्य कर, तारीख 10 फरवरी, 2020 के माध्यम से किया गया था ।